

अपने गन्ना फसल के लिए  
सूक्ष्म सिंचाई योजनान्तर्गत 90%  
अनुदान का लाभ उठाएँ।

शीघ्र आयें ड्रिप पर 90 प्रतिशत  
अनुदान पायें, कम लागत में,  
दोगुनी आय पाए।

## गन्ना फसल में सिंचाई हेतु ड्रिप पद्धति अपना कर अधिक से अधिक उत्पादन पायें

सात निश्चय – 2 एवं प्रधानमंत्री  
कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत ड्रिप  
सिंचाई पद्धति का लाभ  
सभी श्रेणी के कृषकों के  
लिए उपलब्ध है।



गन्ना के फसल में ड्रिप सिंचाई से होने वाले लाभ।

- लगभग 60% जल की बचत।
- 25-30% उर्वरक की खपत में कमी।
- 30-35% लागत में कमी।
- 25-35% अधिक उत्पादन।
- बेहतर गुणवत्ता का उत्पाद।

### मूप्त सामूहिक नलकूप

लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु ड्रिप सिंचाई के साथ-साथ  
6.25 एकड़ के समूह (कम से कम 5 किसान) हेतु  
शत-प्रतिशत अनुदान पर शर्तों के साथ सामूहिक  
नलकूप का प्रावधान भी है।

विशेष जानकारी हेतु किसान  
कॉल सेंटर में संपर्क करें –  
**1800 180 1551**

### फसलवार अनुशंसित सिंचाई पद्धति

- \* ड्रिप – गन्ना, अनानास, पपीता, केला, आम, लीची, अमरुद, सब्जी, अनार, लत्तीदार फसल, प्याज इत्यादि।
- \* मिनी सिप्रंकलर – चाय, आलू, प्याज, धान, गेहूँ, सब्जी इत्यादि।
- \* माइक्रो सिप्रंकलर – लीची, पौली हाउस, शेडनेट हाउस इत्यादि।
- \* पोर्टेबल सिप्रंकलर – दलहन, तेलहन, धान, गेहूँ, इत्यादि।

### योजना का लाभ :-

- \* योजना अन्तर्गत अनुदान का लाभ लेने हेतु किसान स्वयं पूरी राशि लगाकर अथवा अनुदान की राशि घटाकर शेष राशि भुगतान कर यंत्र का अधिष्ठापन करा सकते हैं।
- \* इस योजना की विस्तृत जानकारी/ऑनलाइन आवेदन हेतु अपने क्षेत्र के सहायक निदेशक उद्यान/प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी/निबंधित कंपनियों से सम्पर्क किया जा सकता है।

### योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया :-

- \* योजना का लाभ लेने हेतु उद्यान निदेशालय के बेवसाईट के <http://horticulture.bihar.gov.in> के PMKSY लिंक पर क्लिक कर आवेदन भरा जा सकता है।
- \* किसान अपने पसंद के कंपनी का चयन आवेदन करते समय ही कर सकते हैं।
- \* आवेदन भरने के पश्चात् Reference No. लाभार्थी के मोबाईल पर प्राप्त होगा जिसे किसान सुरक्षित रखेंगे।
- \* किसान सूक्ष्म सिंचाई यंत्र अधिष्ठापन के उपरांत मोबाईल पर प्राप्त OTP को कार्य से संतुष्टि के उपरांत ही किसी अन्य व्यक्ति/कंपनी को साझा करें।
- \* GST पर अनुदान देय नहीं है।

### प्रति एकड़ लागत एवं अनुदान

सिंचाई पद्धति	लागत	GST अतिरिक्त	प्रतिशत अनुदान
ड्रिप	65827	59244	90
मिनी सिप्रंकलर	52548	47293	90
माइक्रो सिप्रंकलर	37619	33857	90
पोर्टेबल सिप्रंकलर	15193	8356	55
ड्रिप के अधिष्ठापन हेतू ट्रेडिंग (80 मीटर)	3343	3343	100

### लाभान्वित कृषक



अधिक जानकारी के लिए उद्यान निदेशालय के बेवसाईट  
<http://horticulture.bihar.gov.in> पर Visit करें अथवा अपने जिला  
के सहायक निदेशक उद्यान से सम्पर्क करें।